भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3110

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**विश्वविद्यालय की शिक्षा हेतु समान पाठ्यक्रम**

**3110. डा॰ वी॰ मैत्रेयनः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ किसी नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय की शिक्षा हेतु राष्ट्रव्यापी समान पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या लाने हेतु कोई कार्यनीति बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों पर वर्ष-वार कुल कितना खर्च किया गया?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क): विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी (भारतीय और विदेशी शैक्षिक संस्‍थाओं के मध्‍य सहयोग के मानकों की प्रोन्‍नति और अनुरक्षण) विनियम, 2016 को अधिसूचित किया है जो किसी भारतीय शैक्षणिक संस्‍था के साथ किसी विदेशी शैक्षणिक संस्‍था के सहयोग के संबंध में पात्रता मानदंडों और शर्तों को परिभाषित करता है। इन विनियमों के अनुसार, किसी विदेशी शैक्षणिक संस्‍था (ओं) के साथ सहयोग करने वाली भारतीय संस्‍था को यूजीसी के पूर्व अनुमोदन से उस विदेशी संस्‍था के साथ एक लिखित समझौता ज्ञापन या समझौते पर हस्‍ताक्षर करने होते हैं।

(ख) और (ग): यद्यपि विश्‍वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या तैयार करने की छूट और स्‍वतंत्रता है, यूजीसी ने उच्‍चतर शिक्षा में गुणवत्‍ता संवर्धन को ध्‍यान में रखते हुए विभिन्‍न विषयों के वैकल्पिक और अनिवार्य पाठ्यक्रमों के लिए आदर्श पाठ्यचर्या को निर्धारित किया है। इन पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की आवधिक समीक्षा की जाती है। साथ ही, यूजीसी ने विद्यार्थियों को रोजगार हेतु अधिक योग्‍य बनाने और पाठ्यक्रमों को अधिक कौशल केन्द्रित तथा अंतरविषयी बनाने के उद्देश्‍य से सभी विश्‍वविद्यालयों के कुलपतियों को प्रत्‍येक तीन वर्ष में अपने पाठ्यक्रम की समीक्षा करने और उसे अद्यतन करने का अनुरोध किया है। पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, परीक्षा और मूल्‍यांकन प्रणाली में नवाचार और सुधार के माध्‍यम से उच्‍चतर शिक्षा की गुणवत्‍ता और शैक्षणिक मानदंडों में सुधार हेतु यूजीसी द्वारा उठाए गए अन्‍य महत्‍वपूर्ण कदम के रूप में चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) की शुरूआत की गई है। सीबीसीएस विद्यार्थियों को एक ‘कैफेटेरिया’ प्रकार की व्‍यवस्‍था प्रदान करता है जहां विद्यार्थी अपनी पसंद के पाठ्यक्रमों को ले सकते हैं, अपनी गति के अनुसार अध्‍ययन, अतिरिक्‍त पाठ्यक्रमों में प्रवेश, ऋण प्राप्‍त करने और अध्‍ययन के लिए अंतरविषयी दृष्टिकोण अपना सकते हैं। इन कार्यक्रमों के तहत – मूल, वैकल्पिक और आधारभूत पाठ्यक्रम उपलब्‍ध हैं। सीबीसीएस पाठ्यचर्या में परिवर्तन और सेमेस्‍ट्रीकरण को सुनिश्चित करेगा। यूजीसी ने अब तक मुख्‍यधारा के 91 पाठयक्रमों और 18 विशिष्‍टता वाले पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या नमूना तैयार किए हैं।

(घ): विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्‍न विश्‍वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान का विवरण निम्‍नानुसार है:

|  |  |
| --- | --- |
| वर्ष | जारी किया गया अनुदान  (रू. करोड़ में) |
| 2014-15 | 9713.80 |
| 2015-16 | 10069.78 |
| 2016-17 | 10454.94 |

**\*\*\*\*\***